उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-773/ग्यारह-9(135)/2015-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(158)-2016

लखनऊ:: दिनांक:: 02 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 03 जून, 2016 से उक्त अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 22 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को बढ़ाने के लिये संशोधन करते हैं:-

"23. एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड बैग्स और एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स "

आज्ञा से,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-774/ग्यारह-9(135)/2015-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(159)-2016

लखनऊ:: दिनांक:: 02 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 03 जून, 2016 से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(31)-2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 14 पर दी गयी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात:-

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
15	एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड बैग्स और एच0डी0पी0ई0/ पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत

. आज्ञा से,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-775/ग्यारह-9(135)/2015-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(160)-2016

लखनऊ:: दिनांक:: 02 जून, 2016

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 03 जून, 2016 से एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड बैग्स और एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर की धनराशि की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर सन् 2007 के उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से, छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।